

14/9/22

उत्तर पत्र अनु०

नोटिस का नामिना
पालन है। डिप्टी पस के
द्वारा अपना पस नहीं रखा
गया।

अंचल अधिकारी
खारिया द्वारा मौजा - बागोडी,
में स्थित खाना - III, एमर -
705, 716, 688, रकबा - 10 एकड़
और मजदूरी खाल की
भूमि है जिलकी जमाबंदी
देवकी सिंह व बाबूलाल सिंह
के नाम से कायम है। उक्त
जमाबंदी सादा हुकमनामा
के आधार पर बिना लसम

दस्ता की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>प्रशासक के अनुमति के अनुसार पर वर्ष 1970-71 में आय का जई है। परन्तु पंजी-II में लगान रसीद की प्रतिष्ठित वर्ष 1981 में की जाई है।</p> <p>अंश अधिकारी सरिया के प्रतिबन्ध एवं अपमठ पर दस्तावेजों से यह जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होती है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति करना है। अतः बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रतर कार्यवाई हेतु अपर समाहती, गिरिडीह को भेजे।</p> <p>भूमि सुधार अप समाहती</p> <p>अनुकराल बगोदा सरिया</p>	